



# पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ,ग, शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ,ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752) 240715

[www.pssou.ac.in](http://www.pssou.ac.in) E-mail-[registrar@pssou.ac.in](mailto:registrar@pssou.ac.in)

## Number of Teachers in position 2021-22

S.No.	Name of Teachers	Department	Post
1	Dr. Kailash Kumar Sahu	Management	Guest Teacher
2	Mr. Suneel Kumar Kurre	Library Science	Guest Teacher
3	Ms. Monika Kispotta	Library Science	Guest Teacher
4	Mrs. Shrishti Tamrakar	Commerce	Guest Teacher
5	Ms. Ankita Lakra	Commerce	Guest Teacher
6	Dr. Rituraj Trivedi	English	Guest Teacher
7	Dr. Amit Kumar Pandey	Sanskrit	Guest Teacher
8	Mr. Nemchand Rajgeer	Sanskrit	Guest Teacher
9	Mr. Pawan Singh Rajput	Education	Guest Teacher
10	Mr. Nitish Kumar Mandal	Education	Guest Teacher
11	Mr. Mukesh Kumar Sahu	Sociology	Guest Teacher
12	Mr. Mukeshwar Sonwani	Sociology	Guest Teacher
13	Mr. Sant Kumar Tiwari	Political science	Guest Teacher
14	Mr. Deepak Kumar	Political science	Guest Teacher
15	Dr. Manoj Tiwari	Maths	Guest Teacher
16	Mr. Sunil Kumar	Maths	Guest Teacher
17	Ms. Anisha Kispotta	Maths	Guest Teacher
18	Dr. Pooja Yadav	Hindi	Guest Teacher
19	Dr. Santosh Kumar Baghel	Hindi	Guest Teacher
20	Dr. Praveen Pathak	History	Guest Teacher
21	Dr. Sarita Chandravanshi	Zoology	Guest Teacher
22	Ms. Manisha Bhimte	Economics	Guest Teacher
23	Dr. Shilpa Vinodia	Botany	Guest Teacher
24	Dr. Angha Agashe	Education	Guest Teacher
25	Ms. Varsha Sinha	Hindi	Guest Teacher
26	Mr. Tarun Patle	Chemistry	Guest Teacher
27	Ms. Neha Anchal	Physics	Guest Teacher
28	Ms. Jigyasa Patel	Political Science	Guest Teacher
29	Dr. Nilima Tiwari	Botany	Co-ordinator
30	Dr. Deepak Pandey	Psychology	Co-ordinator
31	Dr. Tanuja Birthare	Law	Co-ordinator
32	Dr. Anita Pandey	Sociology	Programme Co-ordinator
33	Mr. P. Panduranga	Sociology/Social Work	Programme Co-ordinator

**VERIFIED**

**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

**Dr. Beena Singh**  
Incharge NAAC Criteria-II  
PSSOU, CG Bilaspur

34	Dr. Ratnakar Pandey	Commerce	Programme Co-ordinator
35	Dr. Rajkumar Jaiswal	Commerce	Programme Co-ordinator
36	Dr. Shalini Shukla	Library Science	Programme Co-ordinator
37	Mr. Ganesh Gadhewal	Sociology	Co-ordinator Assistant
38	Ms. Shweta Kurre	Yog Science	Yog Anudeshak

**VERIFIED**

  
**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

  
**Dr. Beena Singh**  
Incharge NAAC Criteria-II  
PSSOU, CG Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 150/प्रबंधन/2022

बिलासपुर, दिनांक : 02/04/2022

प्रति,

डॉ. कैलाश कुमार साहू

कोरवा

विषय :- प्रबंधन

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 151/प्रबंधन/2022

बिलासपुर, दिनांक : 02/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
प्रबंधन विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 114 / ५७३५ / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रति,

Kailash Kumar Sahu

विषय :- management

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 115 / ५७३५ / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

५७३५ विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 557 / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 02 / 04 / 2022

प्रति,

श्री सुनील कुमार कुर्रे

विषय :- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

ग्राम-टोनहीचुवा, पो.-पुछेली, तह. पथरिया, जिला - मुंगेली 495335

विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 558 / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 02 / 04 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख

पुस्तकालय एवं सूचना विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 430/04/10/2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रति,


.....  
सुनील कुमार कुरे  
.....

विषय :- विश्वविद्यालय एवं प्रत्यक्ष विज्ञान

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।


आदेशानुसार  
  
04/10/21  
विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

पृ. क्र. 431/04/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

  
04/10/21  
विभाग प्रमुख

विश्वविद्यालय एवं प्रत्यक्ष विज्ञान विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 559/2022

बिलासपुर, दिनांक : 02/04/2022

प्रति,

मोनिका वंदना किस्पोट्टा


विषय :- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

I-14, River View Colony Koni Bilaspur (C.G.) 495009


विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव

REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 560/2022

बिलासपुर, दिनांक : 02/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

पुस्तकालय एवं सूचना विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 4132/04/09/2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रति,

श्रीमती वंदना किराणिया

विषय :- विश्वविद्यालय एवं संचालन विभाग

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अनुदेशानुसार  
04/10/21

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 4133/04/09/2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

04/10/21

विभाग प्रमुख

विश्वविद्यालय एवं संचालन विभाग



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 152 / प्रबंधन / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 02 / 04 / 2022

प्रति,

श्रुष्टि ताम्रकार  
बिलासपुर

विषय :- वाणिज्य

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

  
विभाग प्रमुख


  
कूलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

पृ. क्र. 153 / प्रबंधन / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 02 / 04 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
वाणिज्य विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 118 / ५६४७ / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रति,

.....  
Shrihri Tantrakar  
.....

विषय :- Commerce

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार




विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 119 / ५६४७ / 2021  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

.....  
विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 125 प्र./2022

बिलासपुर, दिनांक : 31/01/2022

प्रति,

अंकिता लकड़ा

बिलासपुर

विषय :- वाणिज्य

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।


  
कुलसचिव

**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


पृ. क्र. 126 प्र./2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 31/01/2022

  
विभाग प्रमुख  
वाणिज्य विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 105 / 29 / 07 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 29/07/2021

प्रति,

अतिथि शिक्षक

विषय - 010529

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

0

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है; इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 01.08.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 106 / 29 / 07 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 29 / 07 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

010529 विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 154/प्रबंधन/2022

बिलासपुर, दिनांक : 02/04/2022

प्रति,

डॉ. ऋतुराज त्रिवेदी



विषय :- अंग्रेजी

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 155/प्रबंधन/2022

बिलासपुर, दिनांक : 02/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
अंग्रेजी विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 120 / ~~पुनर्स्थापना~~ वि- / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रति,

Dr. Rituraj Privedi


विषय :- English

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार




विभाग प्रमुख


बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

पृ. क्र. 121 / ~~पुनर्स्थापना~~ वि- / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना / प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख

 विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 12A / संस्कृत / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 13 / 01 / 2022

प्रति,

डॉ. अमित कुमार पाण्डेय

विषय :- संस्कृत

.आर/4, क्रांति नगर, बिलासपुर (छ.ग.)

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 12A / संस्कृत / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 13 / 01 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
संस्कृत विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 16/संस्कृत/2022

बिलासपुर, दिनांक : 14/01/2022

प्रति,

श्री नेमचंद राजगीर

विषय :- संस्कृत

ग्राम-मटियारी, पोस्ट-जांजी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 17/संस्कृत/2022

बिलासपुर, दिनांक : 14/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
संस्कृत विभाग



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 390/शिक्षा/2022

बिलासपुर, दिनांक : 21/02/2022

प्रति,

श्री पवन सिंह राजपूत

विषय :- शिक्षा

ग्राम/पो.- झाफल, थाना - लोरमी, मुंगेली

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

पृ. क्र. 391/शिक्षा/2022

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 21/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
शिक्षा विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
 (छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
 कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
 website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 198/शिक्षा/2021 विलासपुर दिनांक 23/08/2021  
 प्रति श्री पवन सिंह राजपूत विषय - शिक्षा

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध) के रूप में कार्य की अनुमति।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है :-

- 1 विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूप में 20000 (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
- 2 आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य सम्पन्न होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
- 3 आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक का विधाना परिभाषा के अंतर्गत आपको लोकसेवक नहीं माना जायेगा।
- 4 आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन कार्य करके शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
- 5 कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं और आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
- 6 आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
- 7 कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्ण सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक ..... तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अतिरिक्त  
 21  
 23/8  
 विभाग प्रमुख

विलासपुर दिनांक 23/08/2021

क्र. 199/शिक्षा/2021  
 प्रतिलिपि -

- 1 निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनाएं।
- 2 निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनाएं।
- 3 वित्ताधिकारी महोदय को सूचनाएं।
- 4 कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख  
 21/8/21 विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. शिक्षा/458/2022

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2022

प्रति,

श्री नितिश कुमार मंडल

विषय :- शिक्षा

वार्ड क्र.01, पो.-शाहपुर, धरमजयगढ़, जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. शिक्षा/459/2022

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
शिक्षा विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 267 / / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 21 / 02 / 2022

प्रति,

श्री मुकेश कुमार साहू


विषय :- समाजशास्त्र

पिता श्री छोटेलाल साहू, बिलासपुर

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव


**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


पृ. क्र. 268 / / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 21 / 02 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

  
विभाग प्रमुख  
समाजशास्त्र विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, विलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 17/18/2021

विलासपुर, दिनांक : 18/08/2021

प्रति,

Mr. Mukesh Kr. Sahu  
Sr. Srini Chhotelal Sahu  
Bilaspur

विषय - समाजशास्त्र

(By hand)

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है--

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हेतु से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक ..... तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

*[Signature]*

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 17/18/2021

विलासपुर, दिनांक : /03/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

Received

18.08.2021

Time: 10.30 P.M.

*[Signature]*

विभाग प्रमुख

विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 317/ /2022

बिलासपुर, दिनांक : 04 /04/2022

प्रति,

श्री मुकेश्वर सोनवानी


विषय :- समाजशास्त्र

स्व.श्री रामरतन सोनवानी


**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कूलसचिव

REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 318/ /2022

बिलासपुर, दिनांक : 04 /04/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
समाजशास्त्र विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, विलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी विरकोना मार्ग, विलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 213 / 4 / 10 / 2021

विलासपुर, दिनांक : 4/10/2021

प्रति,

श्री. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)  
श्री. रामरतन शर्मा (मुक्त)  
कोनी विरकोना मार्ग, विलासपुर


विषय :- ...विश्वविद्यालय...

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार




विभाग प्रमुख

विलासपुर, दिनांक : 4/10/2021

पृ. क्र. 214 / 4 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

...विलासपुर... विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 96/राज.विज्ञान/2022

बिलासपुर, दिनांक : 05/04/2022

प्रति,

श्री संत कुमार तिवारी

विषय :- राजनीति विज्ञान


स्वीतापुर उद्देश

विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

  
विभाग प्रमुख

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

पृ. क्र. 97/राज.विज्ञान/2022

बिलासपुर, दिनांक : 05/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

राजनीति विज्ञान विभाग



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 73 / राज.वि.वि. / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रति

श्री खेत कुमार शर्मा


विषय :- राजनीति विभाग

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवा की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अशासकीय/प्रशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् रखा निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार


  
विभाग प्रमुख

क्र. 74 / राज.वि.वि. / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04/10/2021

प्रतिलिपि

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5.  कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख

विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 87/राज.विज्ञान/2022

बिलासपुर, दिनांक : 14/02/2022

प्रति,

श्री दीपक कुमार

विषय :- राजनीति विज्ञान

~~रायगढ़ छत्तीसगढ़~~

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव

REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार

  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 88/राज.विज्ञान/2022

बिलासपुर, दिनांक : 14/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

राजनीति विज्ञान विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (गुप्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी विरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 169 / 18 / 8 / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 18 / 08 / 2021

प्रति,

MR. Deepak Kumar  
Sp. Shri. Gopal Prasad  
Bilaspur

(By hand)

विषय - राजनीति विभाग

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी वैशिशेष से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक ..... तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार

*Sampir*  
विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 18 / 08 / 2021

पृ. क्र. 170 / 18 / 8 / 2021  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महादय को सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महादय को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महादय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

*Sampir*  
विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1617 / G.F./C.S. / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04 / 10 / 2021

प्रति,

डॉ. मनोज कुमार तिवारी  
बिलासपुर


विषय :- गणित

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 1618 / G.F./C.S. / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 04 / 10 / 2021

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
गणित विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1720/G.F./C.S/2022

बिलासपुर, दिनांक : 12/05/2022

प्रति,

डा. मनोज मिश्रा  
बिलासपुर


विषय :- शा.वि.वि.

विषय :- C.A.M. के तहत रोलिंग विज्ञापन प्रणाली के अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार



विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 12/05/2022

पृ. क्र. 1721 / G.F. / C.S / 2022

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

शा.वि.वि. विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1669 / G.F. / Comp.Sci / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 29/01/2022

प्रति,

श्री सुनिल कुमार

कोरबा


विषय :- गणित

विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 1670 / G.F. / Comp.Sci / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 29/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
गणित विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1565 / G.O. / Comp. / 2021

बिलासपुर, दिनांक 29/03/2021

प्रति,

SUNIL KUMAR,  
Balco Nagar,  
Korba (C.G.)

विषय - (अतिथि)

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (C.A.M.) के रूप में कार्य की अनुमति।


-----0-----

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है-

1. आपको शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) की दर से मानदेय का भुगतान C.A.M. मद से किया जावेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस तक रखा जावेगा।
3. आप विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे।
4. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
5. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे। आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है, इसका शपथ पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
6. कुलपति एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी आदेश का पालन अनिवार्यतः करना होगा।
7. विभागाध्यक्ष के निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
8. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस कार्य की अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक 01.03.2021 तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवे अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।


आदेशानुसार

  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 1566 / G.O. / Comp. / 2021  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक 03/03/2021

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
अतिथि विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1695 / G.F. / Comp.Sci / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30 / 03 / 2022

प्रति,

अनिषा किसपोट्टा


विषय :- गणित

रायगढ़


**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव

REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 1696 / G.F. / Comp.Sci / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30 / 03 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
गणित विभाग



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1568/G.O.F./Comp.Sc./2021

बिलासपुर, दिनांक : 11/08/2021

प्रति,

.....AMISHA KISHORITA  
.....RAICARH.....  
.....

विषय - शांति.....

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध) के रूप में कार्य की अनुमति।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक (शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/--- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जावेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, SLM विकास एवं संपादन कार्य करमा होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।

आप दिनांक ..... तक मूल प्रमाण पत्रों सहित विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः अपनी उपस्थिति देवें अन्यथा की स्थिति में यह आमंत्रण स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आदेशानुसार


विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 11/08/2021

पु. क्र. 1569 / G.O.F. / Comp.Sc. / 2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. विसाधिकारी महोदय को सूचनार्थ।
4. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
शांति..... विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 1053 / 2 वि. विभाग / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2022

प्रति,

डॉ. प्रवीण पाठक

विषय :- इतिहास

गान्धीपुर उत्तर प्रदेश

विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव

REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 1054 / इति. विभाग / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
इतिहास विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 481/30/03/2022

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2022

प्रति,

डॉ. संतोष कुमार बघेल

विषय :- हिन्दी


डी-4 गणेश एनकलेव कोनी, बिलासपुर

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. 482/30/03/2022

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
हिन्दी विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 436/08/10/2021

बिलासपुर, दिनांक : 08/10/2021

प्रति,

डॉ० पूजा यादव  
%0 श्री राम चरण यादव  
LIC-16, तुलसी आवास राजशेखर नगर  
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :- हिन्दी

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रूपये 20800/- (शब्दों में रूपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

08/10/2021  
% विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 437/08/10/2021  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक : 08/10/2021

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

08/10/2021  
% विभाग प्रमुख  
हिन्दी विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 433 / दि. वि. / - / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2021

प्रति,

वर्षा रानी रिहल

विषय :- हिंदी

C/O आरती इण्डिया मकान नं. 54/118K

शांतिविहार कॉलोनी, अन्विया, रायपुर

विषय :- पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में शासन द्वारा स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध / C.A.M. मद से संचालित विषय में पूर्णकालिक अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु अधिकतम प्रतिमाह रुपये 20800/- (शब्दों में रुपये बीस हजार आठ सौ) मानदेय के रूप में प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने की तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 434 / दि. वि. / दि. / 2021

बिलासपुर, दिनांक : 06/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

हिंदी विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 14/Zoo / /2022

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2022

प्रति,

डॉ. सरिता चन्द्रवंशी


विषय :- जन्तु विज्ञान

विजयापुरम, बिलासपुर

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव

REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open),  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 15/Zoo / /2022

बिलासपुर, दिनांक : 31/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।



विभाग प्रमुख

जन्तु विज्ञान विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 145 / MGT / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30 / 03 / 2022

प्रति,

मनीशा भिमते



विषय :- अर्थशास्त्र

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

  
कुलसचिव  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 146 / MGT / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30 / 03 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख  
अर्थशास्त्र विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 18/Bot/2022

बिलासपुर, दिनांक : 01/04/2022

प्रति,

डॉ. शिल्पा विनोदिया

विषय :- वनस्पति विज्ञान

वनस्पति विज्ञान

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

  
विभाग प्रमुख

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

पृ. क्र. 18/Bot/2022

बिलासपुर, दिनांक : 01/04/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

  
विभाग प्रमुख

वनस्पति विज्ञान विभाग



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26 / 2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. 20 / Chem. / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 02 / 04 / 2022

प्रति,

श्री तरुण कुमार पाटले

विषय :- रसायन शास्त्र

रसायन शास्त्र

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

  
REGISTRAR  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)

पृ. क्र. 21 / Chem. / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 02 / 04 / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

विभाग प्रमुख

रसायन शास्त्र विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र.1693 / G.F. / Comp.Sci / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2022

प्रति,

नेहा अंचल

विषय :- भौतिकी

बिलासपुर

**विषय :- सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में कार्य करने की अनुमति।**

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में सहायक प्राध्यापक (अतिथि शिक्षक) के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने कि तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।


  
कुलसचिव

**REGISTRAR**  
Pt. Sunderlal Sharma (Open)  
University Chhattisgarh  
BILASPUR (C.G.)


पृ. क्र. 1694 / G.F. / Comp.Sci / 2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

आदेशानुसार  
  
विभाग प्रमुख

बिलासपुर, दिनांक : 30/03/2022

  
विभाग प्रमुख  
गणित विभाग

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर  
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)  
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240712, 240752  
website- pssou.ac.in, E-mail- registrar@pssou.ac.in

क्र. / / 2022

बिलासपुर, दिनांक : / / 2022

प्रति,

जिज्ञासा पटेल

विषय :- राजनीति विज्ञान

राजनीति विज्ञान मरोदा लेम्बर गिलाई

विषय :- C.A.M. के अंतर्गत अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य की अनुमति।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय में अतिथि शिक्षक के रूप में निम्नलिखित शर्तों पर कार्य की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. विश्वविद्यालय में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य हेतु छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर द्वारा अतिथि शिक्षक के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
2. आपको इस कार्य हेतु स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर में शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य समाप्त होने तक या अधिकतम 177 दिवस के लिये रखा जायेगा।
3. आप किसी भी हैसियत से विश्वविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे एवं लोक सेवक की विधिविहित परिभाषा के अंतर्गत आपको "लोकसेवक" नहीं माना जायेगा।
4. आप पूरी तरह से विभाग के विभागाध्यक्ष के निर्देशन में कार्य करेंगे तथा निर्देशानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन शिक्षण, परामर्श, एस.एल.एम. विकास एवं संपादन कार्य करना होगा।
5. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आप इस बात का शपथ पत्र देंगे कि आपके विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, आप किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं हैं एवं आप एक से अधिक संस्था में अध्यापन कार्य नहीं कर रहे हैं।
6. आप किसी भी माध्यम से अनुभव प्रमाण पत्र एवं मानदेय प्रमाण पत्र की मांग नहीं करेंगे।
7. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर बिना पूर्व सूचना के इस अनुमति को निरस्त किया जा सकता है।
8. यह आदेश जारी होने के तिथि से अधिकतम 177 दिवस तक प्रभावशील रहेगा तत्पश्चात् स्वतः निरस्त माना जायेगा।

आदेशानुसार

विभाग प्रमुख

पृ. क्र. 101 / राज. वि. / 2022

बिलासपुर, दिनांक : 05/05/2022

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. निज सहायक कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. प्रमुख स्थापना/प्रशासन को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

S. P. Rao

विभाग प्रमुख

राजनीति विज्ञान विभाग

# पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 781 /स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर, दिनांक : 28/01/2022

## // आदेश //

निम्नलिखित को दिनांक 29.01.2022 से 24.07.2022 तक मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय पर विश्वविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित कार्य को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 24.07.2022 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी। इन कर्मचारियों के ऊपर होने वाले व्यय भार बजट के "B.9 - Expenditure on RSD : Student Support Services & Centers Maintenance etc." के क्र. 01 एवं 03 मद से विकलनीय होगा।

## मुख्यालय


स. क्र.	नाम	सौंपा गया कार्य	विभाग	वर्ग	महिला / पुरुष
1	श्री टी. एस. ठाकुर (सेवा निवृत्त)	समन्वयक	परीक्षा / गोपनीय	GEN	M
2	डॉ. एम.एल. चन्द्राकर (सेवा निवृत्त)	समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	OBC	M
3	डॉ. मोरध्वज त्रिपाठी	समन्वयक	वाणिज्य	GEN	M
4	डॉ. श्रीमती नीलिमा तिवारी	समन्वयक	गोपनीय विभाग	GEN	F
5	डॉ. तनुजा बिरथरे	समन्वयक	एस.एल.एम. / विधि विभाग	GEN	F
6	डॉ. दीपक पाण्डेय	समन्वयक	कुलपति सचिवालय / मनोविज्ञान	GEN	M
7	श्री विश्वास जलताड़े	समन्वयक	वित्त विभाग	GEN	M
8	श्री ओमप्रकाश गजेन्द्र	समन्वयक	स्था. / प्रशा. एवं भण्डार	SC	M
9	श्री लिनेन्द्र सोनी	समन्वयक	वेब / सर्वर विभाग	OBC	M
10	श्री हरीशचंद्र वैष्णव	समन्वयक	प्रेस एवं एस.एल.एम. विभाग	OBC	M
11	डॉ. श्रीमती शालिनी शुक्ला	कार्यक्रम समन्वयक	ग्रंथालय	GEN	F
12	श्री पी. पाण्डूरंगा बाबू	कार्यक्रम समन्वयक	यांत्रिकी विभाग	GEN	M
13	डॉ. श्रीमती अनिता पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक	गोपनीय विभाग	GEN	F
14	श्रीमती नमिता शर्मा	कार्यक्रम समन्वयक	अकादमी विभाग	GEN	F
15	श्रीमती सोनाली सिंह	कार्यक्रम समन्वयक	रिसेप्शन	GEN	F
16	श्री राकेश मानिकपुरी	कार्यक्रम समन्वयक	वित्त विभाग	OBC	M

	श्री रत्नाकर पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक	हॉस्टल पुरुष एवं कैंटिन/क्षे.से.प्र. (वित्त)	GEN	M
18	श्रीमती अनिता दुबे	कार्यक्रम समन्वयक	डिग्री विभाग	GEN	F
19	श्री शैलेश बंजारा	कार्यक्रम समन्वयक	वित्त विभाग	SC	M
20	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक	गोपनीय विभाग	GEN	M
21	श्री सौरभ वर्तक	कार्यक्रम समन्वयक	परीक्षा विभाग एवं वाहन प्रकोष्ठ	GEN	M
22	श्री प्रवीण शर्मा	कार्यक्रम समन्वयक	एम.पी.डी.डी.	GEN	M
23	श्री कपिलदेव पटेल	कार्यक्रम समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	OBC	M
24	श्रीमती सीमा ठाकुर	कार्यक्रम समन्वयक	कुलपति सचिवालय	GEN	F
25	सुश्री श्वेता कुर्रे	कार्यक्रम समन्वयक	योग विज्ञान विभाग	SC	F
26	श्री नवीन साहू	कार्यक्रम समन्वयक	यांत्रिकी विभाग	OBC	M
27	श्री एम. सुरेश बाबू	सहा. कार्य. समन्वयक		GEN	M
28	श्री भृगु कुमार सिंह	सहा. कार्य. समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	GEN	M
29	श्री रामअवतार जायसवाल	सहा. कार्य. समन्वयक	वित्त विभाग	OBC	M
30	श्री प्रकाशचंद तिवारी	सहा. कार्य. समन्वयक	परीक्षा विभाग	GEN	M
31	श्री सुरेन्द्र बाजपेयी	सहा. कार्य. समन्वयक	जनसूचना प्रकोष्ठ	GEN	M
32	श्री प्रवीण कुमार गुप्ता	सहा. कार्य. समन्वयक	स्थापना/प्रशासन	GEN	M
33	श्री मनोज पाण्डेय	सहा. कार्य. समन्वयक	नैक सेल	GEN	M
34	श्री विकास पाण्डेय	सहा. कार्य. समन्वयक	कुलपति सचिवालय	GEN	M
35	श्रीमती एकता श्रीवास्तव	सहा. कार्य. समन्वयक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	GEN	F
36	श्रीमती सपना साहू	सहा. कार्य. समन्वयक	एस.एल.एम. विभाग	OBC	F
37	श्री डॉंगेश्वर प्रसाद साहू	सहा. कार्य. समन्वयक	गोपनीय विभाग	OBC	M
38	कु. निशा देवी विश्वकर्मा	सहा. कार्य. समन्वयक	गोपनीय विभाग	OBC	F
39	श्री अभिनंदन कर्माकर	सहा. कार्य. समन्वयक	भण्डार विभाग	GEN	M
40	श्री मनोज शर्मा	समन्वय सहायक	वित्त विभाग	GEN	M
41	श्री धर्मेन्द्र पाण्डेय	समन्वय सहायक	सुरक्षा एवं हाऊस कीपिंग	GEN	M
42	श्री सोमेन त्रिवेदी	समन्वय सहायक	कुलसचिव कार्यालय	GEN	M
43	श्री दीपक सिंह परिहार	समन्वय सहायक	शिक्षा विभाग	GEN	M
44	श्री संदीप सिंह दीक्षित	समन्वय सहायक	डिग्री विभाग	GEN	M
45	श्रीमती अमृता भोई	समन्वय सहायक	कुलसचिव कार्यालय	OBC	F
46	श्री हेमलाल दुबे	समन्वय सहायक	कुलसचिव कार्यालय	GEN	M
47	श्रीमती रसमणी कांत	समन्वय सहायक	अकादमी विभाग	SC	F
48	श्रीमती रमा मिश्रा	समन्वय सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	GEN	F
49	श्री बिरीज खाण्डे	समन्वय सहायक	परीक्षा विभाग	SC	M
50	श्री रामलला बरेट	समन्वय सहायक	शिक्षा विभाग	OBC	M
51	श्री पंकज कुमार साव	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग	OBC	M
52	श्री सुखदेव यादव	समन्वय सहायक	नैक सेल	OBC	M
53	श्री वासुदेव दुबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग	GEN	M
54	श्री मुकेश दुबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग	GEN	M

55	श्री विजय सिंह चंदेल	समन्वय सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	GEN	M
	श्री कमलेश साहू	समन्वय सहायक	नैक सेल	OBC	M
57	श्री सुशील कुमार मिश्रा	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ	GEN	M
58	श्री संतोष देवांगन	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ	OBC	M
59	श्रीमती पूनम पाण्डेय	समन्वय सहायक	वित्त विभाग	GEN	F
60	श्री विष्णुकांत यादव	समन्वय सहायक	क्षेत्रीय सेवा प्रभाग	OBC	M
61	श्री अनिरुद्ध चौबे	समन्वय सहायक	गोपनीय विभाग	GEN	M
62	श्री शेख मजहर अली	समन्वय सहायक	स्थापना/प्रशासन	GEN	M
63	श्रीमती सुधा शर्मा	समन्वय सहायक	कम्प्यूटर साइंस विभाग	GEN	F
64	श्री सोहन बरेठ	समन्वय सहायक	नैक सेल	OBC	M
65	श्रीमती संगीता तिवारी	समन्वय सहायक		GEN	F
66	श्री राजूराम यादव	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ	OBC	M
67	श्री अनिल शर्मा	समन्वय सहायक	परीक्षा विभाग	GEN	M
68	श्री लक्ष्मीप्रकाश गौर	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ	ST	M
69	श्री रवि कुमार	समन्वय सहायक	वाहन प्रकोष्ठ	GEN	M
70	श्री पवन देव वैष्णव	समन्वय सहायक	हिन्दी/समाज विभाग	OBC	M
71	श्री महेन्द्र कश्यप	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग	OBC	M
72	श्री राकेश कुमार विश्वकर्मा	समन्वय सहायक	यांत्रिकी विभाग	OBC	M
73	श्री शांतनु पटेल	समन्वय सहायक	कुलपति सचिवालय	OBC	M
74	श्री अखिलेश सनाड्य	सहायक	वित्त विभाग	OBC	M
75	श्रीमती संगीता बड़गैया	सहायक	ग्रंथालय	GEN	F
76	श्री अतुल राज करिहार	सहायक	वित्त विभाग	SC	M
77	श्री रविशंकर यादव	सहायक	गोपनीय विभाग	OBC	M
78	श्री विनोद कुमार विश्वकर्मा	सहायक	ग्रंथालय	OBC	M
79	श्री लक्ष्मी साहू	सहायक	शिक्षा विभाग	OBC	M
80	श्री शिवनारायण यादव	सहायक	ग्रंथालय	OBC	M
81	श्री गुलाब साहू	सहायक	कम्प्यूटर साइंस विभाग	OBC	M
82	श्री छोटेलाल मोहले	सहायक	स्थापना/प्रशासन	SC	M
83	श्री राजेश कुमार चौहान	सहायक	गोपनीय विभाग	GEN	M
84	श्रीमती प्रीति तिवारी	सहायक	भण्डार विभाग	GEN	F
85	श्रीमती अंजू साहू	सहायक	पुस्तकालय विभाग	OBC	F
86	श्री जगदेव बरेठ	सहायक	यांत्रिकी विभाग	OBC	M
87	श्री नंदकिशोर यादव	सहायक	परीक्षा विभाग	OBC	M
88	श्री श्याम कार्तिक सोलंकी	सहायक	भण्डार विभाग	GEN	M
89	श्री अविनाश शर्मा	सहायक	एम.पी.डी.डी.	GEN	M
90	श्री दीपक कुमार दुबे	सहायक	एम.पी.डी.डी.	GEN	M
91	श्री प्रदीप कुमार यादव	सहायक	एम.पी.डी.डी.	OBC	M
92	श्री चंद्रशेखर सिंह ठाकुर	सहायक	एम.पी.डी.डी.	GEN	M
93	श्री अमित उपाध्याय	सहायक	एम.पी.डी.डी.	GEN	M
94	श्री सुशील कुमार पाण्डेय	सहायक	जनसूचना प्रकोष्ठ	GEN	M

	श्री मालिक राम पटेल	सहायक	मनोविज्ञान/योग विज्ञान विभाग	OBC	M
96	श्री मनमोहन दास मानिकपुरी	सहायक	रिसेप्शन	OBC	M
97	श्री राजेश कुमार मिश्रा	सहायक	गोपनीय विभाग	GEN	M
98	श्री राजेश कुमार वैष्णव	सहायक	प्रेस विभाग	OBC	M
99	श्रीमती बरखा रानी गंगोत्री	सहायक	समाजशास्त्र एवं समाज कार्य	SC	F
100	श्रीमती अन्नपूर्णा कौशिक	सहायक	ग्रंथालय	OBC	F
101	श्री चंद्रशेखर कौशिक	सहायक	एम.पी.डी.डी.	OBC	M
102	श्री संतोष कुमार पाण्डेय	सहायक	एस.एल.एम. विभाग	GEN	M
103	श्री मनबोध साहू	सहायक	भण्डार विभाग	OBC	M
104	श्रीमती वीणा सिंह	सहायक	परीक्षा विभाग	GEN	F
105	श्री सुभाषिष डे	सहायक	मनोविज्ञान/योग विज्ञान विभाग	GEN	M
106	श्री मोतीलाल खैरवार	सहायक	कुलपति सचिवालय	ST	M
107	कु. माहेश्वरी उइके	सहायक	कुलपति सचिवालय	ST	F
108	श्री रामनरेश निर्मलकर	सहायक	कुलसचिव कार्यालय	OBC	M
109	श्रीमती भारती दुबे	सहायक	स्थापना/प्रशासन	GEN	F
110	श्री मदनलाल नाग	सहायक	एम.पी.डी.डी.	ST	M
111	श्री रामधीन टेकाम	सहायक	एम.पी.डी.डी.	ST	M
112	श्री शंभू डोंगरे	सहायक	यांत्रिकी विभाग	SC	M

मान. कार्यपरिषद के आदेशानुसार


  
कुलसचिव

पृ. क्र. 782 /स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर, दिनांक : 28 /01/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ ।
3. कार्यालय प्रति ।

  
प्रमुख

स्थापना/प्रशासन

# पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 783/स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर, दिनांक : 28/01/2022

## // आदेश //

निम्नलिखित को दिनांक 29.01.2022 से 24.07.2022 तक मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय पर विश्वविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित कार्य को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशानहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 24.07.2022 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी। इन कर्मचारियों के ऊपर होने वाले व्यय भार बजट के "B.9 - Expenditure on RSD : Student Support Services & Centers Maintenance etc." के क्र. 01 एवं 03 मद से विकलनीय होगा।

### क्षेत्रीय केन्द्र बिलासपुर

स. क्र.	नाम	सौंपा गया कार्य	वर्ग	महिला/पुरुष
1	श्री भूपेन्द्र श्रीवास्तव	कार्यक्रम समन्वयक	GEN	M
2	श्री अजय कुमार पाण्डेय	कार्यक्रम समन्वयक	GEN	M
3	श्री आबिद अली	समन्वय सहायक	GEN	M
4	श्रीमती नीलिमा शर्मा	समन्वय सहायक	GEN	F

### क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर

5	श्रीमती वर्षा दुबे	कार्यक्रम समन्वयक	GEN	F
6	श्री संजय चंद्राकर	समन्वय सहायक	OBC	M
7	श्री आशीष द्विवेदी	समन्वय सहायक	GEN	M
8	श्री शरद कुमार यादव	समन्वय सहायक	OBC	M
9	श्री संजय अग्रवाल	सहायक	GEN	M

### क्षेत्रीय केन्द्र दुर्ग

10	डॉ. डी. एन. शर्मा	समन्वयक	GEN	M
11	श्रीमती नीलम सिंह	सहा. कार्य. समन्वयक	GEN	F
12	श्री शिवचरणलाल साहू	समन्वय सहायक	OBC	M
13	श्री उमेश कुमार आंचला	सहायक	ST	M

### क्षेत्रीय केन्द्र अंबिकापुर

14	श्री राजकुमार जायसवाल	कार्यक्रम समन्वयक	OBC	M
15	श्री श्याम सुन्दर सिंह	समन्वय सहायक	ST	M
16	श्री विजय कुमार चक्रधारी	समन्वय सहायक	OBC	M
17	श्रीमती सरस्वती	समन्वय सहायक	OBC	F
18	श्री जयप्रकाश सोनी	सहायक	OBC	M
19	श्री फूलसाय	सहायक	ST	M

### क्षेत्रीय केन्द्र जशपुर

20	श्री नेहाल मिंज	समन्वय सहायक	ST	M
21	श्री रामेश्वर शाडिल्य	सहायक	SC	M



22	कु. आभा एक्का	सहायक	ST	F
<b>क्षेत्रीय केन्द्र जगदलपुर</b>				
23	डॉ. एस. पी. तिवारी	समन्वयक	GEN	M
24	श्री रामेश्वर गनवीर	समन्वय सहायक	ST	M
25	श्रीमती शेख संजीदा	समन्वय सहायक	GEN	F
26	श्री विवेक पाण्डेय	समन्वय सहायक	GEN	M
<b>क्षेत्रीय केन्द्र कांकेर</b>				
27	श्री पुन्निलाल दृत्तलहरे	समन्वय सहायक	SC	M

मान. कार्यपरिषद के आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्र. 784 /स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर, दिनांक : 28/01/2022

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रति।



प्रमुख  
स्थापना/प्रशासन

# पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 785/स्था./प्रशा./2022

बिलासपुर, दिनांक : 28/01/2022

## // आदेश //

निम्नलिखित को दिनांक 29.01.2022 से 24.07.2022 तक मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय पर विश्वविद्यालय में उनके नाम के सम्मुख प्रदर्शित कार्य को करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 24.07.2022 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी। इन कर्मचारियों के ऊपर होने वाले व्यय भार बजट के "B.9 - Expenditure on RSD : Student Support Services & Centers Maintenance etc." के क्र. 01 एवं 03 मद से विकलनीय होगा।


स. क्र.	नाम	सौंपा कार्य कार्य	अध्ययन केन्द्र	वर्ग	महिला / पुरुष
1	श्री राजेन्द्र चन्द्रवंशी	सहा.कार्य. समन्वयक	पाण्डातराई	OBC	M
2	श्री विजय कृष्ण दुबे	सहा.कार्य. समन्वयक	रतनपुर	GEN	M
3	श्री महेन्द्र शर्मा	जिला समन्वयक	कवर्धा	GEN	M
4	श्री रामसुजान जायसवाल	समन्वय सहायक	वाङ्गफनगर	OBC	M
5	कुमारी साक्षी त्रिपाठी	समन्वय सहायक	भटगांव	GEN	F
6	श्री कमल कुमार पटेल	समन्वय सहायक	रायगढ़	OBC	M
7	श्री श्याम कुमार पटेल	समन्वय सहायक	रायगढ़	OBC	M
8	श्री संतोष निर्मलकर	समन्वय सहायक	पुसौर	OBC	M
9	श्री योगेश कुमार यादव	समन्वय सहायक	सारंगढ़	OBC	M
10	श्री हरप्रसाद लहरे	समन्वय सहायक	सारंगढ़	SC	M
11	श्री सचिन कुमार साहू	समन्वय सहायक	जांजगीर	OBC	M
12	श्री विपिन बिहारी सिंह	समन्वय सहायक	पामगढ़	GEN	M
13	श्री दीपेन्द्र सिंह राजपूत	समन्वय सहायक	बेमेतरा	GEN	M
14	श्री शोभाराम जंघेल	समन्वय सहायक	छुईखदान	ST	M
15	श्री सोहन लाल भुआर्य	समन्वय सहायक	मानपुर	ST	M
16	श्री राकेश कुमार डाहिरे	समन्वय सहायक	पंडरिया	SC	M
17	श्रीमती साधना श्रीवास्तव	समन्वय सहायक	जगदलपुर	GEN	F
18	श्री कैलाश कश्यप	समन्वय सहायक	सुकमा	OBC	M
19	श्री बालकृष्ण उपाध्याय	समन्वय सहायक	तपकरा	GEN	M
20	श्री शान्तनु शर्मा	समन्वय सहायक	तपकरा	GEN	M
21	श्री संजय कुमार पाण्डेय	समन्वय सहायक	बगीचा	GEN	M
22	श्री प्रवीण कुमार पाण्डेय	समन्वय सहायक	बगीचा	GEN	M

सं. क्र.	नाम	सौपा कार्य कार्य	अध्ययन केन्द्र	वर्ग	महिला / पुरुष
23	श्री तापेश्वर राम यादव	समन्वय सहायक	कुनकुरी	OBC	M
24	श्री महेश कुमार	समन्वय सहायक	पथलगांव	OBC	M
25	श्री जय सिंह	समन्वय सहायक	पथलगांव	ST	M
26	श्री ओमप्रकाश ठाकुर	समन्वय सहायक	अंतागढ़	GEN	M
27	सुश्री सीमा ठाकुर	समन्वय सहायक	केशकाल	GEN	F
28	श्री उद्यन भारती	समन्वय सहायक	महासमुंद	OBC	M
29	श्री संतोष कुमार सोनी	समन्वय सहायक	पिथौरा	OBC	M
30	श्रीमती संगीता दुबे	समन्वय सहायक	तोकापाल	GEN	F
31	श्री राकेश तिवारी	समन्वय सहायक	अंबिकापुर	GEN	M
32	श्री धनीराम दुबे	समन्वय सहायक	शंकरगढ़	GEN	M
33	श्री अनुज कुमार दुबे	समन्वय सहायक	राजपुर	GEN	M
34	श्री नीलभास्कर सिंह	समन्वय सहायक	भैयाथान	GEN	M
35	श्री विनोद कुमार चौबे	समन्वय सहायक	बैकुण्ठपुर	GEN	M
36	श्री अनिल कुमार श्रीवास	समन्वय सहायक	बैकुण्ठपुर	OBC	M
37	श्री प्रशांत सोनी	समन्वय सहायक	तखतपुर	OBC	M
38	श्री विजय कुमार साहू	समन्वय सहायक	गौरेला	OBC	M
39	श्री लूपचंद घृतलहरे	समन्वय सहायक	सारंगढ़	SC	M
40	श्री संजय शुक्ला	समन्वय सहायक	सक्ती	GEN	M
41	श्री राजेश शर्मा	समन्वय सहायक	खरौद	GEN	M
42	मौ. साहिर	समन्वय सहायक	दुर्ग	GEN	M
43	श्री निरंजन लाल कैवर्त	समन्वय सहायक	धमधा	OBC	M
44	श्री अरुण कुमार वैष्णव	समन्वय सहायक	राजनांदगांव	OBC	M
45	श्रीमती सरिता वैष्णव	समन्वय सहायक	डोगरगढ़	OBC	F
46	श्रीमती ममता ठाकुर	समन्वय सहायक	कवर्धा	GEN	F
47	श्री मानसिंह महानंदी	समन्वय सहायक	दंतेवाड़ा	OBC	M
48	श्री भूरसूराम बघेल	समन्वय सहायक	बीजापुर	ST	M
49	श्री विद्याराम यादव	समन्वय सहायक	कांसाबेल	OBC	M
50	श्री अनिल पाण्डेय	समन्वय सहायक	धरमजयगढ़	GEN	M
51	श्री पुरंजय पाण्डेय	समन्वय सहायक	धरमजयगढ़	GEN	M
52	श्री परीक्षित साहू	समन्वय सहायक	कांकेर	OBC	M
53	श्री सुधान्यु मण्डल	समन्वय सहायक	बांदे	SC	M
54	श्री रमेश कुमार पाटिल	समन्वय सहायक	कोण्डागांव	SC	M
55	श्री अरुण कुमार शुक्ला	समन्वय सहायक	नारायणपुर	GEN	M
56	श्री रूपेश तिवारी	समन्वय सहायक	बलौदाबाजार	GEN	M
57	श्री प्रमोद मिश्रा	समन्वय सहायक	कसडोल	GEN	M
58	श्री अवधेश कुमार साहू	समन्वय सहायक	कसडोल	OBC	M
59	श्री हीरामन सिंह केराम	समन्वय सहायक	राजिम	ST	M

सं. क्र.	नाम	सौंपा कार्य कार्य	अध्ययन केन्द्र	वर्ग	महिला / पुरुष
60	श्री राकेश कुमार साहू	समन्वय सहायक	धमतरी	OBC	M
61	श्री सोमनाथ चक्रधारी	समन्वय सहायक	नगरी	OBC	M
62	श्री राम कुमार जयसवाल	समन्वय सहायक	जैजैपुर	OBC	M
63	श्री शिवराम कश्यप	समन्वय सहायक	तोकापाल	OBC	M
64	श्री उत्तम कुमार दुबे	समन्वय सहायक	गेवरा	GEN	M
65	कु. बेदमती गोयन	समन्वय सहायक	भैयाथान	OBC	F
66	श्री धनाजी राम रावटे	समन्वय सहायक	डौण्डीलोहारा	ST	M
67	श्री लक्ष्मण सिंह बोगा	समन्वय सहायक	मोहला	ST	M
68	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	समन्वय सहायक	लैलूंगा	GEN	M
69	श्री बीर सिंह नेताम	समन्वय सहायक	फरसगांव	ST	M
70	श्री गोविंद नारायण डाहिरे	समन्वय सहायक	सिमगा	SC	M
71	श्री गणेश कुमार गढ़वाल	समन्वय सहायक (समाज शास्त्र)	कोरबा	OBC	M
72	श्री राजेश कुमार सक्सेना	समन्वय सहायक	कोरबा	GEN	M
73	श्री सुशील कुमार देवांगन	समन्वय सहायक	जैजैपुर	OBC	M
74	श्री सुभाष चंद यादव	समन्वय सहायक	रामानुजगंज	OBC	M
75	श्री सत्यनंद पाण्डेय	समन्वय सहायक	प्रतापपुर	GEN	M
76	श्री विनोद कुमार द्विवेदी	समन्वय सहायक	मुंगेली	GEN	M
77	श्री मुकेश सिंह चंदेल	समन्वय सहायक	मस्तुरी	GEN	M
78	श्री अजीत कुमार सनम	समन्वय सहायक	नवागढ़	SC	M
79	श्री प्रतापभानू शर्मा	समन्वय सहायक	लोरमी	GEN	M
80	श्री आकाश शर्मा	समन्वय सहायक	पुसौर	GEN	M
81	श्री धर्मेन्द्र प्रकाश तिवारी	समन्वय सहायक	थानख्रम्हरिया	GEN	M
82	श्रीमती सविता तिवारी	समन्वय सहायक	सरगांव	GEN	F
83	श्री विक्रान्त पाण्डेय	सहायक	भटगांव	GEN	M
84	श्री संतोष कुमार राठौर	सहायक	जांजगीर	OBC	M
85	श्री शरद कुमार श्रीवास	सहायक	पामगढ़	OBC	M
86	श्री भेकदास धलेन्द्र	सहायक	अंबागढ़ चौकी	ST	M
87	श्री दीपक चन्द्राकर	सहायक	महासमुंद	OBC	M
88	श्रीमती विनीता दुबे	सहायक	राजपुर	GEN	F
89	श्री रामशरण पैकरा	सहायक	सोनहत	ST	M
90	श्री अमित कुमार वर्मा	सहायक	कटघोरा	OBC	M
91	श्री पंकज कुमार गौरहा	सहायक	बलौदा	GEN	M
92	श्री श्याम सुन्दर तिवारी	सहायक	साजा	GEN	M
93	श्री मिथिलेश कुमार साहू	सहायक	गुण्डरदेही	OBC	M
94	श्री अशोक कुमार नायक	सहायक	डोंगरगांव	ST	M
95	श्री लोकचंद वर्मा	सहायक	छुईखदान	OBC	M

क्र.	नाम	सौपा कार्य कार्य	अध्ययन केन्द्र	वर्ग	महिला/पुरुष
96	श्री भोजराम साहू	सहायक	राजनांदगांव	OBC	M
97	श्री उज्ज्वल शर्मा	सहायक	डोगरगांव	GEN	M
98	श्री टेकराम वर्मा	सहायक	खैरागढ़	OBC	M
99	श्री मनोज तिवारी	सहायक	पांडातराई	GEN	M
100	श्री बालकेश्वर राव	सहायक	कांसाबेल	OBC	M
101	श्री सतीश सिंहा	सहायक	कांकेर	OBC	M
102	श्री बाबूलाल कोठारी	सहायक	भानुप्रतापपुर	ST	M
103	श्री मेखराम भुआर्य	सहायक	भाटापारा	ST	M
104	श्री पवन कुमार साहू	सहायक	कसडोल	OBC	M
105	श्री आशीष कुमार आर्मा	सहायक	कुरुद	ST	M
106	श्री रामप्रसाद नापित	सहायक	भैयाथान	ST	M
107	श्री कौशल प्रसाद साहू	सहायक	गौरेला	OBC	M
108	श्रीमती रजनी देवी चौहान	सहायक	रायगढ़	GEN	F
109	श्री मधुसूदन ठाकुर	सहायक	पण्डरिया	GEN	M
110	श्री लव सिंह मरावी	सहायक	केशकाल	ST	M
111	श्री कमल किशोर कौशिक	सहायक	सिमगा	OBC	M
112	श्री भागबली जायसवाल	सहायक	लोरमी	OBC	M
113	श्रीमती शीला पाठक	सहायक	कोटा	GEN	F
114	श्री अमित सेन	सहायक	गौरेला	OBC	M
115	श्री दीपक कुमार तिवारी	सहायक	दीपका-गेवरा	GEN	M
116	श्री राजपाल मोहले	सहायक	मुंगेली	SC	M
117	श्री इतवार सिंह	सहायक	कटघोरा	ST	M
118	श्री भागबली कुंजाम	सहायक	डौण्डीलोहारा	ST	M


मान. कार्यपरिषद के आदेशानुसार

  
कुलसचिव

पृ. क्र. 786/स्था./प्रशा./2022  
प्रतिलिपि :-

बिलासपुर, दिनांक : 28/01/2022

1. माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रति।

  
प्रमुख

स्थापना/प्रशासन